# प्रतिपाल्य अधिकरण, बिहार का कार्यालय
## राजस्व पर्षद, बिहार

# बेतिया राज की परिसम्पत्तियों के बंदोबस्ती संबंधी नीति

**(क)** बेतिया राज की बंदोबस्ती के संबंध में C.W.J.C. No- 10071/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–06.05.2024 को पारित आदेश के आलोक में माननीय अध्यक्ष–सह–सदस्य– राजस्व पर्षद–सह–प्रतिपाल्य अधिकरण, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–16.08.2024 को संबंधित सभी समाहर्त्ताओं एवं व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया के साथ बैठक आयोजित कर निम्न प्रकार से नीति का निर्धारण किया गया।

**(I) वैसी परिसम्पत्ति जो अभी तक बंदोबस्त नहीं हो पायी है और जिसकी पहली बार बंदोबस्ती की जा रही है:–**

| क्रम सं0 | भूमि का प्रकार | बन्दोबस्ती/लीज की अवधि | बंदोबस्ती हेतु न्यूनतम मूल्य |
|---|---|---|---|
| I | II | III | IV |
| 1 | **कृषि योग्य भूमि**<br>(i) सामान्य फसल की कृषि हेतु भूमि। | 11 माह | विज्ञापन के उपरांत निविदा के अधिकतम बोली की राशि न्यूनतम जमा राशि मानी जायेगी। |
| | (ii) गन्ना की कृषि हेतु भूमि। | 11 माह | विज्ञापन के उपरांत निविदा के अधिकतम बोली की राशि न्यूनतम जमा राशि मानी जायेगी। |
| 2. | बेतिया राज के विभिन्न सैरात जैसे– मेला, जलकर, फलकर, तांगा स्टैण्ड, टेम्पु स्टैण्ड इत्यादि | 11 माह | विज्ञापन के उपरांत निविदा के अधिकतम बोली की राशि न्यूनतम जमा राशि मानी जायेगी। |
| 3. | छोटे आवास/दुकान (बेतियाराज द्वारा निर्मित) | 11 माह | संबंधित अनुमंडलाधिकारी द्वारा बिहार बिल्डिंग कन्ट्रोल एक्ट के Fair Rent Fixation के प्रावधानों के तहत किया जायेगा। |
| 4. | बेतिया राज के मंदिर | 11 माह | विज्ञापन के उपरांत निविदा के अधिकतम बोली की राशि न्यूनतम जमा राशि मानी जायेगी। |

(II) वैसी परिसम्पत्ति जो पिछले वर्षों में बंदोबस्त की गयी थी और उसकी बंदोबस्ती हेतु फिर से डाक/नीलामी की प्रक्रिया की जानी है:–

| क्रम सं0 | भूमि का प्रकार | बन्दोबस्ती /लीज की अवधि | बंदोबस्ती हेतु न्यूनतम मूल्य |
|---|---|---|---|
| I | II | III | IV |
| 1 | **कृषि योग्य भूमि** (i) सामान्य फसल की कृषि हेतु भूमि। | 11 माह | वर्ष 2019 या उससे पूर्व की गयी बंदोबस्ती का दर + उक्त दर का 10% प्रत्येक वर्ष वृद्धि करते हुए अद्यतन न्यूनतम मूल्य निर्धारित की जायेगी। |
| | (ii) गन्ना की कृषि हेतु भूमि। | 11 माह | वर्ष 2019 या उससे पूर्व की गयी बंदोबस्ती का दर + उक्त दर का 10% प्रत्येक वर्ष वृद्धि करते हुए अद्यतन न्यूनतम मूल्य निर्धारित की जायेगी। |
| 2 | आवासीय भूमि | 11 माह | वर्ष 2019 या उससे पूर्व की गयी बंदोबस्ती का दर + उक्त दर का 10% प्रत्येक वर्ष वृद्धि करते हुए अद्यतन न्यूनतम मूल्य निर्धारित की जायेगी। |
| 3 | व्यवसायिक भूमि (पेट्रोल पम्प सहित) | 11 माह | वर्ष 2019 या उससे पूर्व की गयी बंदोबस्ती का दर + उक्त दर का 10% प्रत्येक वर्ष वृद्धि करते हुए अद्यतन न्यूनतम मूल्य निर्धारित की जायेगी। |
| 4. | बेतिया राज के विभिन्न सैरात जैसे– मेला, जलकर, फलकर, तांगा स्टैण्ड, टेम्पु स्टैण्ड इत्यादि | 11 माह | वर्ष 2019 या उससे पूर्व की गयी बंदोबस्ती का दर + उक्त दर का 10% प्रत्येक वर्ष वृद्धि करते हुए अद्यतन न्यूनतम मूल्य निर्धारित की जायेगी। |
| 5. | छोटे आवास/दुकान (बेतियाराज द्वारा निर्मित) | 11 माह | वर्ष 2019 या उससे पूर्व की गयी बंदोबस्ती का दर + उक्त दर का 10% प्रत्येक वर्ष वृद्धि करते हुए अद्यतन न्यूनतम मूल्य निर्धारित की जायेगी। |
| 6. | छोटे आवास/दुकान हेतु भूखंड | 11 माह | वर्ष 2019 या उससे पूर्व की गयी बंदोबस्ती का दर + उक्त दर का 10% प्रत्येक वर्ष वृद्धि करते हुए अद्यतन न्यूनतम मूल्य निर्धारित की जायेगी। |
| 7. | बेतिया राज के मंदिर | 11 माह | वर्ष 2019 या उससे पूर्व की गयी बंदोबस्ती का दर + उक्त दर का 10% प्रत्येक वर्ष वृद्धि करते हुए अद्यतन न्यूनतम मूल्य निर्धारित की जायेगी। |

**नोटः**— पूर्व से बंदोबस्त हो रही परिसम्पत्तियों के संबंध में इस प्रकार से नीलामी की न्यूनतम दर निर्धारित की जायेगीः—

उदारहण स्वरूप, यदि वर्ष 2018 में बंदोबस्ती रु1000/— में की गई थी, तब—

31.03.2019 में देय = 1000 + (1000 का 10%) = 1100/—

31.03.2020 में देय 1100+(1100 का 10%) = 1210/—

31.03.2021 में देय 1210+(1210 का 10%) = 1331/—

31.03.2022 में देय 1331+(1331 का 10%) = 1464/—

31.03.2023 में देय 1464+(1464 का 10%) = 1610/—

31.03.2024 में देय 1610+(1610 का 10%) = 1771/—

इस प्रकार जिस बंदोबस्तधारी को 2018 में बेतिया राज को कोई भूमि 1000/—रू0 में बंदोबस्त की गई थी तो उस बंदोबस्तधारी से उपरोक्त गणना के अनुसार पिछल सभी वर्षों का बकाया वसूला जायेगा। साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बंदोबस्ती पर लगी रोक को हटाने के बाद अब उपरोक्त भूमि की बंदोबस्ती का न्यूनतम मूल्य रु0 1771/— वार्षिक होगा। यही प्रक्रिया उपरोक्त तालिका के कॉलम IV में दी गई है।

**(ख) बेतियाराज की परिसम्पत्तियों को सरकार में सन्निहित कर लिये जाने के स्थिति में इस नीति के तहत की गयी बन्दोबस्ती तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी एवं इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा दी गयी व्यवस्था अधिमान्य होगी।**

**(ग) बिहार राज्य के बाहर की भूमि को बन्दोबस्ती हेतु व्यवस्थापक, बेतिया राज सीधे प्रस्ताव राजस्व पर्षद, बिहार में अनुमोदन हेतु भेजेंगे।**

**(घ) उक्त नीति के संबंध में समाहर्त्ता/प्रबंधक को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उक्त मामले को कोर्ट ऑफ वार्ड्स—सह—राजस्व पर्षद, बिहार को भेजा जाय।**

**(ड़) उपरोक्त नीति में आवश्यकतानुसार कोर्ट ऑफ वार्ड्स—सह—राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा समय—समय पर संशोधन किया जा सकता है।**

उपरोक्त नीति प्रस्ताव में माननीय अध्यक्ष—सह—सदस्य—राजस्व पर्षद—सह—प्रतिपाल्य अधिकरण, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

27/8/24

**(गिरिवर दयाल सिंह)**
**सचिव,**
**राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।**

ज्ञापांकः—03 / बे0राज—11 / 2023— 1193 पटना, दिनांक— 27-08-2024

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण / पूर्वी चम्पारण / सारण / गोपालगंज / सिवान / पटना एवं व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-08-24

उप सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—03 / बे0राज—11 / 2023— 1193 पटना, दिनांक— 27-08-2024

प्रतिलिपिः— माननीय अध्यक्ष—सह—सदस्य के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव / उप सचिव एवं अवर सचिव राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-08-24

उप सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

27/08/24

e:\sandeep\betiya raj\niti final 1\niti draft 16 08 2024 final.docx4